प्राथमिकता/मा0 न्यायालय आदेश

संख्या– /एक–9–15–रा–9

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर,
   उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–9

लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर,2015

विषयः **रिट याचिका (सी) संख्या 50033 आफ 2015 जितेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व** अन्य में मा0 उच्च न्यायालय,उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2015 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या– **50033 आफ 2015 जितेन्द्र बहादुर सिंह बनाम राज्य व** अन्य में दिनांक 04.09.2015 को निम्न आदेश पारित किये गये हैंः–

"Heard learned counsel for the parties and perused the record. This Court has repeatedly held that the police and administrative authority must not interfere in inter se dispute between the two private parties in respect of immovable properties.

We have been informed that a Government Order has also been issued for the same purpose. It appears that the Sub-Divisional Magistrate, Mariahu, District Jaunpur has no respect to the orders of the Court or to the Government Order. He has issued the order for delivery of possession under the order impugned and thereafter he has issued another order for possession to be delivered and a report be submitted for compliance thereof.

We, therefore, direct that the Principal Secretary, Revenue to take disciplinary action against the officer concerned and to ensure that in future, no such order are issued. No leniency is to be shown.

A copy of this order may be forwarded to the respondent no.1 by the Standing Counsel. within a week from today and the action taken report be submitted before this Court positively by 18.9.2015. "

2– उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या––491 रिट /छः–पु–3–2014–2(94)पी/2014, दिनांक 01.12.2014 द्वारा इस विषय पर पूर्व में विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

650

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 04.09.2015 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि निजी पक्षकारों के मध्य अचल सम्पत्ति के ऐसे प्रकरणों जिनमें वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है अथवा जिनमें मा0 न्यायालयों द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किये गये हों, में प्रकीर्ण प्रार्थनापत्रों पर प्रशासनिक आदेश पारित न किये जाय। यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा तथा इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 650 (1)/एक–9–15–रा–9, तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

2– प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ,

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव ।